

बनाम रुद्रा 0.250
 212 RTI नं. 21/29/17 सन्

हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस हुकम
 की तामील में जारी हुए

28/7/17

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 24.10.2017 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 748/524 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम बर्डोद तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार की विद्युत लाईन व पोल वगैराह ना लगावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 24.10.2017 को पेश हो।

(Signature)
 उप स्रण्ड अधिकारी
 रामगढ (अलवर)

24/10/17

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
 ..*(Signature)*.. है। पेश किया
 नकल दिलाई गई। वास्तो पत्रावली
 दिनांक 21/11/18 को पेश हो।

2-1-18


वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
 ..*(Signature)*.. है। पेश कि
 नकल दिलाई गई। वास्तो पत्रावली
 दिनांक 22-2-18 को पेश हो।

27.2.18

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
 ..*(Signature)*.. है। पेश किया
 नकल दिलाई गई। वास्तो पत्रावली
 दिनांक 8.5.18 को पेश हो।

14 6
18.

पचाबली न्याय अफसे डार, कम्पनेस
शाख एडिटर में पेश हुइ। उअर
पञ्जकरान अमुण। पचाबली क अफसेडन
दिया। दि. 28.7.17 को जारी ग.डि. भूडवादा
के मिर.गारण जेने तक कुनफर्म की जारी हुइ।
पचाब मुहण्ड के साख शाग रहे।


(Rno 15)